(भारत के राजपत्र असाधारण भाग - II खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 39 (आर.ई. - 2012)/2009-2014

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2013

विषय : खाद्य तेल के निर्यात के संबंध में दिनांक 5 फरवरी, 2013 की अधिसूचना सं0 32(आर ई-2012)/2009-14 में संशोधन ।

सां.आ.(अ) विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) के पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 की क्रम सं.92 से संबंधित दिनांक 5 फरवरी, 2013 की अधिसूचना सं0 32(आर ई-2012)/2009-14 में तत्काल प्रभाव से संशोधन करती है।

2. खाद्य तेल के निर्यात पर प्रारंभ में दिनांक 17.3.2008 की अधिसूचना सं0 85 द्वारा 17.03.2008 से एक वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाई गई थी जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया था । दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 की अधिसूचना सं0 24(आर ई-2012)/2009-14 के द्वारा खाद्य तेल के निर्यात पर रोक अगले आदेश तक बढ़ा दी गई है ।

3. खाद्य तेल के निर्यात संबंधी रोक पर निम्नलिखित छूट की अनुमति दी गई हैः

(क) अरंडी का तेल

(ख) सभी ईडीआई पत्तनों और भू-सीमा-शुल्क कार्यालयों (एलसीएस) के माध्यम से नारियल का तेल [एलसीएस अलग से अधिसूचित किए जाएंगे]

(ग) निर्यात किए जाने वाले गैर खाद्य माल के उत्पादन के लिए 100% निर्यात्तोन्मुख एककों को डी टी ए से खाद्य तेलों (इनपुट कच्चे माल के रूप में) के मान्य निर्यात

(घ) लागू मूल्य संवर्धन मानकों के अधीन संसाधित खाद्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए एस ई जेड यूनिट द्वारा खपत किए जाने हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस ई जेड) को स्वदेशी प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) से खाद्य तेल प्रदान करने हेतु

(ङ.) आई टी सी (एचएस) कोड 15159010, 15159020, 15159030, 15159040, 15179010 और 15219020 के तहत लघु वन्य उत्पादों से विनिर्मित खाद्य तेल हेतु।

(च) 10,000 मी.टन आर्गेनिक खाद्य तेल प्रति वर्ष। आर्गेनिक खाद्य तेलों के निर्यात हेतु दिनांक 03.06.2011 को जारी अधिसूचना सं0 50 में अधिसूचित शर्तें लागू रहेंगी।

4. 1500 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य के तहत 5 किग्रा. तक के ब्रान्डेड उपभोक्ता पैक में खाद्य तेल का निर्यात अनुमत है ।

5. यह रोक पीनट बटर, आईटीसी(एचएस) कोड 15179020 के निर्यात पर लागू नहीं होगी [दिनांक 4 फरवरी, 2013 की अधिसूचना सं0 31 (आर ई 2012)/ 2009-14 के पैरा-1 की तालिका की क्रम सं0 10 पर यह पहले ही अधिसूचित है।]

6. इस अधिसूचना का प्रभावः

दिनांक 05.02.2013 (अधिसूचना सं0 32) को अधिसूचित खाद्य तेल के निर्यात संबंधी रोक पर छूट का विस्तार किया गया है ।

(अनुप के0 पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई मेल : dgft@nic.in

(फा0सं0 01/91/180/774/ए एम 10/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)